

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन

भाग—1

कक्षा-6



(राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा विकसित)
बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना के सौजन्य से सम्पूर्ण बिहार राज्य के निमित्त ।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत
पाठ्य-पुस्तकों का निःशुल्क वितरण ।
क्रय-विक्रय दण्डनीय अपराध ।

© बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना

सर्व शिक्षा अभियान : 2013-14-20,81,455

बिहार स्टेट टेक्स्टबुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, पाठ्य-पुस्तक भवन, बुद्धमार्ग, पटना-800 001 द्वारा प्रकाशित तथा पुजा प्रिन्टेक प्रा. लि., पटना-800013 द्वारा एच.पी.सी. के 70 जी.एस.एम. क्रीम वोभ टेक्स्ट पेपर (वाटर मार्क) एवं एच.पी.सी. के 130 जी.एस.एम. ह्वाइट (वाटर मार्क) आवरण पेपर पर कुल 20,81,455 प्रतियाँ 24 x 18 सेमी साईज में मुद्रित ।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के निर्णयानुसार अप्रैल, 2009 से प्रथम चरण में राज्य के कक्षा IX हेतु नए पाठ्यक्रम को लागू किया गया। इस क्रम में शैक्षिक सत्र 2010-11 के लिए वर्ग I, III, VI एवं X की सभी भाषायी एवं गैर भाषायी पाठ्य-पुस्तकें नए पाठ्यक्रम के अनुरूप लागू की गयीं। इस नए पाठ्यक्रम के आलोक में एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली द्वारा विकसित वर्ग X की गणित एवं विज्ञान तथा एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना द्वारा विकसित वर्ग I, III, VI एवं X की सभी अन्य भाषायी एवं गैर भाषायी पुस्तकें बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा आवरण चित्रण कर मुद्रित की गयीं। इस सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए शैक्षिक सत्र 2011-12 के लिए वर्ग II, IV एवं VII तथा शैक्षिक सत्र 2012-13 के लिए वर्ग V एवं VIII की नई पाठ्य-पुस्तकें बिहार राज्य के छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध करायी गयीं। साथ-ही-साथ वर्ग I से VIII तक की पुस्तकों का नया परिमार्जित रूप भी शैक्षिक सत्र 2013-14 के लिए एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है।

बिहार राज्य में विद्यालयीय शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री, श्री पी0के0 शाही एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, श्री अमरजीत सिन्हा के मार्ग दर्शन के प्रति हम हृदय से कृतज्ञ हैं।

एन0सी0ई0आर0टी0, नई दिल्ली तथा एस0सी0ई0आर0टी0, बिहार, पटना के निदेशक के भी हम आभारी हैं जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया।

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, शिक्षाविदों की टिप्पणियों एवं सुझावों का सदैव स्वागत करेगा, जिससे बिहार राज्य को देश के शिक्षा जगत में उच्चतम स्थान दिलाने में हमारा प्रयास सहायक सिद्ध हो सके।

जे०के०पी० सिंह, भा०रे०का०से०

प्रबन्ध निदेशक

बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लि०

© BSTBPC
WEBCOPY. NOT TO BE PUBLISHED
Developed by : Medical Relations, www.abso1.in

दिशाबोध-सह-पाठ्यपुस्तक विकास समन्वय समिति

- श्री राहुल सिंह, राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- श्री रामशरणागत सिंह, संयुक्त निदेशक, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार
विशेष कार्य पदाधिकारी,
बी.एस.टी.बी.पी.सी., पटना
- श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, बिहार सरकार
- डॉ. श्वेता सांडिल्य, शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, पटना
- श्री हसन वारिस, निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- श्री मधुसूदन पासवान, कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना
- डॉ. एस.ए. मुईन, विभागाध्यक्ष एस.सी.ई.आर.टी., पटना
- डॉ. ज्ञानदेव मणि त्रिपाठी, प्राचार्य मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एण्ड मैनेजमेंट, हाजीपुर
- डॉ. उदय कुमार उज्ज्वल, अपर कार्यक्रम पदाधिकारी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना

पाठ्य-पुस्तक विकास समिति

विषय विशेषज्ञ

श्री अरविन्द सरदाना, एकलव्य, देवास, मध्यप्रदेश

लेखक सदस्य

- श्रीमती नाहिदा प्रवीण, शिक्षिका उत्कर्मित मध्य विद्यालय, खतरी, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर
- श्री कात्यायन कुमार त्रिपाठी, शिक्षक प्रा०वि० चैलीटाल, स्लम, गुलजाराम, पटना
- श्री ओम प्रकाश, शिक्षक, धनेश्वरी देवनन्दन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, दानापुर, पटना
- श्री विकास कुमार राय, शिक्षक, प्राथमिक विद्यालय, श्रीकान्तपुर, राजपुर, बक्सर
- श्री आशीष कुमार, शिक्षक, राजकीयकृत उच्च विद्यालय, बीर ओईयारा, पटना
- डॉ० श्रवण कुमार सिंह, शिक्षक, सर जी.डी. पाटलीपुत्र उ० मा० विद्यालय, कदमकुआँ, पटना
- श्री त्रिपुरारी कुमार, शिक्षक मध्य विद्यालय, बड़का डुमरा, भोजपुर
- श्री आफताब आलम, मध्य विद्यालय, सारंग, भोजपुर
- श्री प्रवीण कुमार, शिक्षक मध्य विद्यालय, खोनहा, सत्तर कटैया, सहरसा

समन्वयक

- डॉ० (श्रीमती) रीता राय, व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार, पटना

समीक्षक

- श्री विजय कुमार सिंह, शिक्षक, एफ.एन. एस. एकेडमी, पटना
- डॉ० तुलिका प्रसाद, व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, बाढ़, पटना

आरेखन

- श्री सदानन्द सिंह

आभार : यूनिसेफ, बिहार

आमुख

प्रस्तुत पुस्तक “सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन”, भाग-1, कक्षा-6 भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2005 तथा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, बिहार द्वारा एन.सी.एफ.-2005 के सिद्धांत, दर्शन तथा शिक्षा शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर विशिष्ट रूप से ग्रामीण क्षेत्र को संदर्भ में रखते हुए बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा -2008 तथा तदनुरूप पाठ्यक्रम के आधार पर बिहार राज्य के शिक्षक समूह के साथ चरणबद्ध कार्यशाला में समय-समय पर विद्याभवन सोसाइटी, उदयपुर, राजस्थान के साधन सेवी, विषय विशेषज्ञ एवं शिक्षाविदों के साथ मिलकर निर्माण किया गया है। बच्चों के सर्वांगीण विकास अर्थात् शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं अभ्यास क्षमताओं पर ध्यान दिया गया है। बच्चों में करके सीखने तथा खोजी भावना का विकास करने तथा आपस में मिल जुलकर सीखने की प्रवृत्ति का विकास करके उनको जिम्मेवार नागरिक बनाया जाय, जिससे देश की धर्म निरपेक्षता, अखंडता एवं समृद्धि के लिए कार्य करे तथा संविधान की प्रस्तावना की पूर्ति हो, ऐसा विद्यालीय शिक्षा के क्रम में पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक में ध्यान रखा गया है। पाठ्य-पुस्तक के सभी अध्याय रोचकपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक में दिये गये विषय वस्तु विद्यार्थियों के दैनिक अनुभव पर आधारित हो, ऐसा प्रयास किया गया है। अध्यायों में कहानी के माध्यम से पाठ को रोचक बनाने का प्रयास किया गया है, जो अपने आप में नवाचार है। कहीं-कहीं ऐसे सन्दर्भित प्रश्न हैं, जिनसे बच्चों में कौतुहलता एवं जिज्ञासा बढ़ेगी।

पाठ्यपुस्तक के माध्यम से बच्चे तथा शिक्षक के बीच शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बाल-केन्द्रित तथा सीखना बिना बोझ के अर्थात् सुगम एवं आनन्ददायी शिक्षण हो, ऐसा प्रयास किया गया है, इसलिए पाठ्यपुस्तक के सभी अध्यायों के विषय वस्तु में जगह-जगह क्रियाकलाप अर्थात् गतिविधि तथा प्रयोग का वर्णन है। पुस्तक के अधिकांश क्रियाकलाप बिना किसी सामग्री या कम लागत की सामग्री के साथ करवाये जा सकते हैं। शिक्षण जितना गतिविधि आधारित होगा, बच्चों को सक्रिय बनाने वाला होगा तथा बच्चों को उतना ही अधिक आनन्द आएगा और वे उतनी ही अच्छी तरह दक्षताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इस कार्य में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में पर्याप्त प्रश्न तथा अधिकांश अध्याय में परियोजना कार्य भी दिये गये हैं जिनसे की छात्र की उपलब्धियों की जाँच हो सके।

इस पाठ्य-पुस्तक के निर्माण में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना का सराहनीय सहयोग रहा है। प्रस्तुत पाठ्य-पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने के पूर्व राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के संकाय सदस्यों, विषय विशेषज्ञों तथा अन्य संस्थानों यथा विद्या भवन सोसाइटी, उदयपुर (राजस्थान), एन.सी.ई.आर.टी. दिल्ली के साधन सेवियों के साथ मिलकर काफी गहन चर्चा के बाद पुस्तक की पाण्डुलिपि का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम, विद्या भवन सोसाइटी, एकलव्य, मध्यप्रदेश द्वारा विकसित पुस्तकों के साथ अनेक प्रकाशनों की पुस्तकें, संदर्भ सामग्री के रूप में पाठ्य-पुस्तक को तैयार करने में उपयोगी साबित हुई। परिषद् इन सभी संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करती है। परिषद्, यूनिसेफ, बिहार के सहयोग के लिए भी आभारी है। पाठ्यपुस्तकों का संशोधन, परिमार्जन व संवर्द्धन अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है तथा इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। ज्ञातव्य है कि इस पुस्तक का प्रथम संस्करण जिसमें 'अर्थशास्त्र' की एक अलग पुस्तक थी, लेकिन बाद के शैक्षिक सत्र में विद्यालयों में अध्ययन-अध्यापन के क्रम में इस पुस्तक के संदर्भ में शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों से अनेक सकारात्मक सुझाव प्राप्त हुए। इसके साथ-साथ संकुल संसाधन केन्द्रों, प्रखण्ड संसाधन केन्द्रों तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों पर भी परिचर्चाओं के क्रम में पुस्तक के संवर्द्धन हेतु बहुमूल्य रचनात्मक सुझाव प्राप्त हुए। जिसमें बच्चों पर पुस्तकों का भार कम करने की दृष्टि से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में अर्थशास्त्र को भी समाहित करने का सुझाव था। साथ ही संक्षेपित रूप से विद्यालयों में ट्राईआउट के दौरान अपेक्षित संशोधन हेतु कई अनुभव प्राप्त हुए। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एवं चरणबद्ध कार्यशालाओं में प्राप्त सुझाव एवं अनुभवों के अनुरूप पाठ्य-पुस्तक में संशोधन एवं परिमार्जन किया गया है। पाठ्यपुस्तक का संशोधित एवं परिमार्जित संस्करण राज्य के शिक्षार्थियों को समर्पित है।

अन्त में सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं शिक्षाविदों से आग्रह है कि पुस्तक को देखें-समझें-परखें और इसे बेहतर बनाने हेतु अपने अमूल्य विचारों से हमें अवगत कराएं।

आपके सुझावों और विचारों की हमें प्रतीक्षा रहेगी।

हसन वारिस (निदेशक)

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्,
बिहार, पटना-6

हमारा संविधान प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व—सम्पन्न, समाजवादी, पंथ—निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म

और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता

प्राप्त करने के लिए

तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता

सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

हमारा संविधान

हमारा मूल कर्तव्य

51 क. मूल कर्तव्य—भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह—

- (I) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें;
- (ii) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें;
- (iii) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उन्हें अक्षुण्ण रखे;
- (iv) देश की रक्षा करे और आह्वाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;
- (v) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं;
- (vi) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्त्व समझें और उनका परिरक्षण करें;
- (vii) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे;
- (viii) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;
- (ix) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;
- (x) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।

1 [(xi) माता—पिता या संरक्षक, जैसी भी स्थिति हो, अपने उस बच्चे की, जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच है, शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा।]

अनुक्रमणिका

अध्याय संख्या	अध्याय का शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1	विविधता की समझ	01 – 12
2	ग्रामीण जीवन—यापन के स्वरूप	13 – 25
3	शहरी जीवन—यापन के स्वरूप	26 – 38
4	लेन—देन का बदलता स्वरूप	39 – 50
5	हमारी सरकार	51 – 60
6	स्थानीय सरकार	61 – 76



RETIRED

WEBCOPY. NOT TO BE PUBLISHED



Developed by: Arditel Solutions, www.absol.in

Developed by: Arditel Solutions, www.absol.in